<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 05.11.2022</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः—

<u>जनपद खीरी में सड़क सुरक्षा यातायात माह नवंबर 2022 के अंतर्गत की गई कार्यवाही</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी यातायात महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के अंतर्गत तीन सवारी, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट एवं नाबालिक द्वारा वाहन चलाने पर शारदा नगर में यातायात पुलिस के टीएसआई श्री संजीव तोमर एवं शारदा नगर चौकी प्रभारी श्री हीरालाल रावत मय पुलिस बल के चेकिंग की गई एवं आम जनमानस को यातायात नियमों के बारे में म्यूजिक के माध्यम से एवं पंपलेट देकर जानकारी एवं जागरूक किया गया तथा बताया गया कि आए दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी ना होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन ना करना है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें वाहन चलाते समय हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें भीड़भाड़ वाले स्थानों पर वाहन को निर्धारित गति में चलाएं नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें स्टंट बाइकिंग से बचे हैं काली फिल्म हूटर प्रेशर हॉर्न का प्रयोग ना करें गलत दिशा में ना चले इस तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होगी तथा लोग सुरक्षित

रहेंगे साथ ही रोड के किनारे अपने वाहन आदि ना खड़ा करें एवं रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं यातायात नियमों के अनदेखी करने वाले वाहन चालकों एवं वाहनों के विरुद् मोटर यान अधिनियम के तहत कुल 215 वाहनों का चालान 02 सीज करते हुए रुपया 101500/ आधिरोपित किया गया।

थाना फरधान पुलिस द्वारा 06 नफर अभियुक्तों को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.11.2022 को थाना फरधान पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 06 नफर अभि0गणों को ताश के 52 पत्ते व माल फड़ से 3450 रूपये के साथ गिरफ्तार कर लिया गया तथा जामा तलाशी से 0970 रु0 प्राप्त हुए। जिसके सम्बंध मे मु0अ0सं0 0495/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम बनाम ,1.अमरीश पुत्र रामबचन 2. नीरज पुत्र रोशनलाल 3. बृजमोहन पुत्र रामभरोसे 4.रहीश पुत्र मुमताज, 5. सकटू पुत्र गयादत्त सर्व निवासी ग्राम कोल्हौरी थाना फरधान जिला खीरी व 6. जोगेन्दर पुत्र रामप्रवेश निवासी ग्राम डांडेपुरवा थाना फरधान जनपद खीरी पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही कर अभिक्तों को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1.अमरीश पुत्र रामबचन

2. नीरज पुत्र रोशनलाल

3. बृजमोहन पुत्र रामभरोसे

4.रहीश पुत्र मुमताज

5. सकटू पुत्र गयादत्त सर्व निवासी ग्राम कोल्हौरी थाना फरधान जिला खीरी

6. जोगेन्दर पुत्र रामप्रवेश निवासी ग्राम डांडेपुरवा थाना फरधान जनपद खीरी

<u>बरामदगी माल</u>

ताश के 52 पत्ते व माल फड़ से 3450 रूपये व जामा तलाशी से 0970 रु0 कुल 4510 रुपये बरामद होना

<u>गिरफ्तारी का स्थान -</u>

गांव कोल्हौरा गाव के पश्चिम आम के बाग मे बह्दग्राम कोल्हौरी थाना फरधान जिला खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. उ0नि0 अनूप कुमार मिश्रा

2. मु0आ0 लक्ष्मीकांत,

3. मु0आ0 प्रमोद कुमार,

4. कां0 श्याम किशुन,

5. कां0 गोविन्द ,

6. कां0 नितेश

7. कां0 धर्मेन्द्र सिंह

थाना मितौली पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 05.11.2022 को थाना मितौली पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त हरदेश लोनिया पुत्र साहबदीन नि0 दरी थाना मितौली खीरी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हरदेश लोनिया पुत्र साहबदीन नि0 दरी थाना मितौली खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामबाबू शर्मा
2. हे0का0 प्रेमनरायन राजपूत
3. हे0का0 राजकुमार सिंह

थाना मितौली पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त वीरु पुत्र अयोध्या को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद खीरी द्वारा अवैध शस्त्र की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा आज दिनांक 05.11.2022 को ग्राम टिकरिया छोटी नहर पुल के पास से अभि0 वीरू पुत्र अयोध्या नि0 टिकरिया थाना मितौली जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके विरूद्ध थाना मितौली पर मु0अ0सं0 401/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

वीरू पुत्र अयोध्या नि0 टिकरिया थाना मितौली जनपद खीरी ।

अभि0 वीरू उपुरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 67/20 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0

2. मु0अ0सं0 48/20 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0

3. मु0अ0सं0 224/2020 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 धारा 2,3

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 लोकेश सिंह

2. का0 नवी आलम

3. का0 संजीव कुमार

थाना निघासन पुलिस द्वारा, अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त रामा को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना निघासन पुलिस द्वारा अभियुक्त रामा निवासी बिनौरा थाना निघासन जनपद खीरी को 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना निघासन पर मु0अ0सं0 862/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 88 लीटर अवैध शराब बरामद कर 10 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संजीव सुमन के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटे में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **88 लीटर अवैध** कच्ची शराब व **02 शराब भट्टी** बरामद कर **10 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **07 अभियोग** पंजीकृत किए गए।